:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूंगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– महावीर प्रसाद जैन आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 2/26

1. श्री लखमा पिता रतना जाति भील निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री भूमिधारी तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

:: निर्णय :: दिनांक 05/05/2026

प्रकरण का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गांव डूंगरसारण तहसील चिखली के स्थायी निवासी है। प्रार्थी के अपने कब्जे काश्त की भूमि पर कृषि कार्य करने अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है।

यह कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम डूंगरसारण में खाता संख्या 897, खसरा नम्बर 1512/278, 280 खेत किता 1 कुल रकबा 0.7281 है0 होकर स्थित है। जिस पर प्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज होकर काष्त करते आ रहे है।

यह कि प्रार्थी का वास्तविक लखमा पिता रतना नाम है। उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजी में प्रार्थी का नाम लखमा पिता रूपा गलत रूप से अंकित कर दिया गया है। जबकि समस्त राजकीय दस्तावेजात में उसका नाम लखमा पिता रतना ही है तथा प्रार्थी के नाम से ही जाना पहचाना जाता है।

यह कि पुरे डूंगरसारण गांव में लखमा पिता रतना नाम का एक ही व्यक्ति निवासरत है। तथा लखमा पिता रूपा नाम से कोई व्यक्ति नहीं है।

यह कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लखमा पिता रूपा नाम गलत चल रहा है। जबकि उसे सुधार किया जाकर लखमा पिता रतना दर्ज किया जाना आवश्यक है।

यह कि राजस्व रिकॉर्ड में सुधार नहीं किये जाने पर अकारण ही परेशानी हो रही है। जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

यह कि जरिये इन्द्राज दुरूस्ति राजस्व रिकॉर्ड आराजी नम्बर जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के कॉलम संख्या 2 में किया है। जिसमें दर्ज नाम लखमा पिता रूपा को हटाया जाकर उसकी जगह वास्तविक नाम लखमा पिता रतना दर्ज किया जाने आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार चिखली से रिपोर्ट मंगवाई गई। दिनांक 28.04.2026 को को तहसीलदार चिखली से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि दर्ज रजिस्टर की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी लखमा पुत्र रतना रोत मौजा डूंगरसारण के खाता संख्या 897 खसरा नम्बर 1512/278, 280 रकबा 0.7281 है0 में खातेदार लखमा पुत्र रूपा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी लखमा पुत्र रतना रोत के राशनकार्ड, बैंक डायरी व आधार कार्ड में लखमा उर्फ लक्ष्मण पिता रतना दर्ज है।

तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उनके पक्ष में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/गवाह पेश नहीं किया गया जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में लखमा पिता रूपा के स्थान पर लखमा पिता रतना नाम दर्ज किया जा सकें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली

उपखण्ड अधिकारी
चिखली डूंगरपुर